

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही  
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

मियाद प्रार्थना पत्र संख्या: 95/2021

प्रार्थी

गुमानसिंह पुत्र श्री शेरसिंह, जाति-राजपूत, निवासी-खाम्बल, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही
2. सार्वजनिक निर्माण विभाग जरिये अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिरोही

“प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम”

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत, अप्रार्थी संख्या: 2 की ओर से
3. पेरोंकार सरकार, अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से

—: निर्णय :-

दिनांक 27 सितम्बर, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी अपीलार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल के पुराने खसरा संख्या 14 कुल रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से रकबा 6 बीघा भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 21.11.1978 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थागण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या-1 (एक) की ओर से पेरोंकार सरकार उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या: 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत उपस्थित हुये। अप्रार्थी संख्या: 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब भी प्रस्तुत किया।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी अपीलार्थी ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (1)(डी) के अन्तर्गत ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल, तहसील सिरोही के पुराने (साबिका) खसरा नंबर 14, बाद भू प्रबन्ध खसरा नंबर 20 के संबंध में नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 21.11.1978 को निरस्त कराने हेतु इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जो विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। इस विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है। यह कि प्रार्थी प्रश्नगत खसरा नंबर 20 (पुराना खसरा नंबर 14) ग्राम खाम्बल, तहसील सिरोही के खातेदार कृषक हैं तथा उक्त कृषि आराजी उनकी पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिस पर प्रार्थी वर्ष 1978 के पूर्व से आज तक मौके पर काबिज काश्त है। यह कि वर्ष 1978 में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से सिरोही से कालन्द्री तक सड़क निर्माण का कार्य अप्रार्थी संख्या- 2 (सार्वजनिक निर्माण .....पेज दो पर




अति. जिला कलेक्टर  
सिरोही (राज.)



विभाग) द्वारा करवाया गया था, जिसके तहत प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सड़क सीमा में गई थी, तत्पश्चात् अप्रार्थी तहसीलदार, सिरोही द्वारा पुराने खसरा नंबर 14 (नया खसरा नं. 20) ग्राम खाम्बल का अप्रार्थी संख्या-2 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के हक में नामान्तरकरण दायर किया गया, जिसमें अप्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि एवं सड़क सीमा के अतिरिक्त प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काशत की भूमि नये खसरा नंबर 20 रकबा 0.51 हेक्टर भूमि को गै.मु. सड़क नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 21.11.1978 ग्राम खाम्बल दायर किया गया, जो प्रार्थी की उक्त आराजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के अधीन नहीं थी, बल्कि प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी की कब्जे काशत की कृषि आराजी है, जो प्रथम भू प्रबन्ध से लगातार आज तक रही है। तहसीलदार, सिरोही को प्रार्थी अपीलार्थी की खातेदारी कृषि आराजी का नामान्तरकरण संख्या 337/78 बिना किसी वैधानिक आदेश के भरने का विधिक हक नहीं था। अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही का उक्त नामान्तरकरण संख्या 337 को स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 21.11.1978 सर्वथा शून्य, विधि विरुद्ध व बिना क्षेत्राधिकार के है एवं ऐसे आदेश को चुनौती देने के संबंध में धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी के अधिवक्ता ने विधिक दृष्टान्त RRD 1991 Page 218 Jagdish & ors. V/s Phoolchand & ors. में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 3 के तहत किसी शून्य, अवैधानिक व बिना क्षेत्राधिकार के पारित आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। प्रार्थी अपीलार्थी ने प्रश्नगत नामान्तरकरण विधि विरुद्ध दायर होकर स्वीकृत होने की जानकारी होने पर समय-समय पर तहसीलदार, सिरोही को नामान्तरकरण निरस्त करवाने हेतु आवेदन किया एवं इस दुरस्ती को दुरस्त करवाने हेतु भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही के न्यायालय में भी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत कार्यवाही प्रस्तुत की गई, परन्तु प्रार्थी अपीलार्थी को कोई राहत नहीं मिली है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में कोई लापरवाही नहीं बरती है एवं न ही अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने में प्रार्थी अपीलार्थी की कोई लापरवाही रही है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 21.11.1978 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जावे एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के आदेश पारित किये जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-2 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी ने अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है जो खारिज किये जाने योग्य है। यह कि अप्रार्थी संख्या-2 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के पक्ष में प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 337/78 विधि अनुसार भरा गया है और वह प्रारंभ से ही सही एवं सत्य है। प्रार्थी ने उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध करीब 43 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है, जिसमें हुई देरी के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई उचित एवं वैध कारण नहीं बताया है। विधि में प्रत्येक नियम एवं अधिनियम हेतु मियाद सीमा निश्चित की हुई है। प्रार्थी ने मियाद बाहर उक्त अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी के पूर्व रसाधिकारियों एवं संयुक्त खातेदारों द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र संख्या 56/2007 किशोरसिंह बनाम तहसीलदार सिरोही व अन्य दर्ज हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही द्वारा दिनांक 23.3.2012 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी किशोरसिंह का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया था। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र की पूर्व से जानकारी है और प्रार्थी

....पेज तीन पर



  
अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

ने जिस नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की है, उस नामान्तरकरण के संबंध में प्रार्थी को प्रारंभ से ही जानकारी रही है। इस प्रकार, प्रार्थी ने उक्त अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील भी मियाद बाहर होने से खारिज की जावे। परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है एवं धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर उचित आदेश इस न्यायालय द्वारा पारित किया जाना है।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल के पुराने खसरा संख्या 14 (नये खसरा संख्या 20) रकबा 9 बीघा 8 बिस्वा भूमि में से रकबा 6 बीघा भूमि का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 21.11.1978 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थागण के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील विलम्ब से इस न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने से विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अर्न्तगत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

इस संबंध में प्रार्थी का मुख्यतः कथन यह है कि "वर्ष 1978 में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में से सिरोही से कालन्दी तक सड़क निर्माण का कार्य अप्रार्थी संख्या- 2 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) द्वारा करवाया गया था, जिसके तहत प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि सड़क सीमा में गई थी, तत्पश्चात् तहसीलदार, सिरोही द्वारा पुराने खसरा नंबर 14 (नया खसरा नं. 20) ग्राम खाम्बल का अप्रार्थी संख्या-2 (सार्वजनिक निर्माण विभाग) के हक में नामान्तरकरण दायर किया गया, जिसमें अप्रार्थी सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि एवं सड़क सीमा के अतिरिक्त प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि नये खसरा नंबर 20 रकबा 0.51 हेक्टर भूमि को गै. मु. सड़क नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 27.11.1978 ग्राम खाम्बल दायर किया गया, जो प्रार्थी की उक्त आराजी सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के अधीन नहीं थी, बल्कि प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी की कब्जे काश्त की कृषि आराजी है, जो प्रथम भू प्रबन्ध से लगातार आज तक रही है। तहसीलदार, सिरोही को प्रार्थी अपीलार्थी की खातेदारी कृषि आराजी का नामान्तरकरण संख्या 337/78 बिना किसी वैधानिक आदेश के भरने का विधिक हक नहीं था। तहसीलदार सिरोही द्वारा नामान्तरकरण संख्या 337 को स्वीकृत करने का आदेश दिनांक 21.11.1978 सर्वथा शून्य, विधि विरुद्ध व बिना क्षेत्राधिकार के है एवं ऐसे आदेश को चुनौती देने के संबंध में धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।" जबकि अप्रार्थी संख्या-2 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया गया है कि "प्रार्थी ने उक्त नामान्तरकरण के विरुद्ध करीब 43 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत की है, जिसमें हुई देरी के संबंध में अपने प्रार्थना पत्र के साथ कोई उचित एवं वैध कारण नहीं बताया है। विधि में प्रत्येक नियम एवं अधिनियम हेतु मियाद सीमा निश्चित की हुई है। प्रार्थी ने मियाद बाहर उक्त अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थी के पूर्व रसाधिकारियों एवं संयुक्त खातेदारों द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थी न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्रार्थना पत्र संख्या 56/2007 किशोरसिंह बनाम तहसीलदार सिरोही व अन्य दर्ज हुआ था। उक्त प्रार्थना पत्र में न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही द्वारा दिनांक 23.3.2012 को आदेश पारित करते हुए प्रार्थी किशोरसिंह का प्रार्थना पत्र

.....पेज चार पर



*(Handwritten Signature)*

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)

परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया था। प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र की पूर्व से जानकारी है और प्रार्थी ने जिस नामान्तरकरण को निरस्त करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की है, उस नामान्तरकरण के संबंध में प्रार्थी को प्रारंभ से ही जानकारी रही है।”

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौके पर सड़क के नीचे कम भूमि है एवं राजस्व रिकॉर्ड में प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अधिक भूमि दर्ज हो जाने से प्रार्थी के पूर्व रसाधिकारियों द्वारा उक्त त्रुटि को दुरस्त कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सिरोही के न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 56/2007 किशोरसिंह बनाम स्टेट व अन्य में न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.3.2012 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया गया था।

चूंकि प्रार्थी का कथन है कि “प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा सड़क के नीचे आई भूमि से अधिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम दर्ज हुई है, जो प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी भूमि है।” यदि वस्तुतः प्रश्नगत नामान्तरकरण के द्वारा मौके पर सड़क के नीचे आई भूमि से अधिक भूमि (जो प्रार्थी के कथनानुसार उसके संयुक्त खातेदारी की है) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है तो इससे प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे और प्रार्थी को उसके अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। विधिक दृष्टान्त RRD 1991 Page 218 Jagdish & ors. V/s Phoolchand & ors में यह अभिमत प्रकट किया है कि आरम्भतः शून्य आदेशों के मामलों में परिसीमा अवधि लागू नहीं होती है। भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 3 के अनुसार भी आरम्भतः शून्य मामलों में परिसीमा अवधि लागू नहीं होती है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सारवान होने व साबित होने से स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

#### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम विरुद्ध अप्रार्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, सिरोही द्वारा ग्राम खाम्बल, पटवार हल्का खाम्बल के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 21.11.1978 के विरुद्ध प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 सितम्बर, 2023 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. भास्कर विश्वाजी)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही